



संख्या : /जी०एस०(शिक्षा)/A11-182/2021

प्रेषक,

डा० रंजीत कुमार सिन्हा
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड
महोदय,

देहरादून : दिनांक ८ जून, 2022

कृपया कुलसचिव के पत्र संख्या: 3738/SDSUV/Aff/2020-21 दिनांक 02-09-2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा उत्तरांचल इन्स्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एण्ड टूरिज्म, गढ़ विहार, मोहकमपुर, हरिद्वार रोड़, देहरादून को बी०ए० पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2019-20 की नवीन अस्थाई सम्बद्धता का प्रस्ताव कुलपति की संस्तुति के साथ उपलब्ध कराया गया है।

2- शैक्षिक सत्र 2019-20 की नवीन अस्थायी सम्बद्धता के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (यथा संशोधित) के अध्याय-06 की धारा-33 (1) के अन्तर्गत महाविद्यालय को उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की नवीन अस्थाई सम्बद्धता प्रस्ताव पर मा० कुलाधिपति महोदय द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है :-

क्र० सं०	महाविद्यालय/संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की अवधि
1	2	3	4	5
1.	उत्तरांचल इन्स्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एण्ड टूरिज्म, गढ़ विहार, मोहकमपुर, हरिद्वार रोड़, देहरादून।	बी०ए० (हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, शिक्षाशास्त्र, संस्कृत, गृह विज्ञान)	60 सीट प्रति विषय	2019-20

- निरीक्षण मण्डल की आख्या/कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, यू०जी०सी० के विनियमों व नियामक संस्था के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा में अस्थायी सम्बद्धता आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करें व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।
- विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, कार्यपरिषद की आवश्यकता व विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुये संस्थान को सम्बद्धता दिये जाने से पूर्व U.G.C./राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम तथा शासन द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी, ताकि अध्ययनरत छात्रों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
- संस्थान यू०जी०सी० विनियम-2009 के 3.4.7 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार सम्बद्धता प्राप्ति के तीन माह के भीतर विश्वविद्यालय से फैंकल्टी का अनुमोदन प्राप्त करेगा।
- अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव सत्र दर सत्र के आधार पर ससमय निर्धारित समय सारिणी के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे।
तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा० रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 906 (1)/जी०एस०(शिक्षा)/A11-182/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
- प्राचार्य, उत्तरांचल इन्स्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एण्ड टूरिज्म, मोहकमपुर, हरिद्वार रोड़, देहरादून।
- कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(स्वाति एस० मदीशिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।